कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 874 /36 सी0 दिनांक 12 / 6 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1318/36सी0 दिनांक 18/7/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है–

क्रम सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	शर्त सं0 01 का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.87 हे0 सिविल खसरा न0 1265 एम में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपातरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण Notification एवं करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline Para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	शर्त सं0 03 का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और रतंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त सं0 04 का अनुपालन किया जायेगा।
5	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) सं0 202/1995 मे IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.032008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0	शर्त मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 मे जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.435 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेडो की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 109 पेड से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेषण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं0 6 में वाछित धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएगे।	अनुपालन किया जायेगा।
8	गाईडलाईन्स मे दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला क्लेकटर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0 9 एफ0आर0ए0 2006 में में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार अनुपालन किया गया है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की सख्या बढ़ाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयागकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों का राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	शर्त सं0 17 का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसिया विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नही की जाएगी।	शर्त सं0 19 का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लवन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के	शर्त सं0 20 का अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2019 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	
21	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग क पर्यवेषण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेबारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/)पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

संलग्नः– 03 प्रतियो मे.

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक 874/36 सी0 दिनांकित 12/6/2024

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-03-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6140272750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	3200463/-

Amount In Words :Thirty-Two Lakh Four Hundred and Sixty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150396140272750 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

30 MAR 2022

Brijesh

Executive Engineer
Cont. Divi - P.W.D
Tharali (Chamoli)
29/3/22

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

880/258
4/8/2021

आदेश

जनपद चमोली में कुलसारी–नैल–ढालू मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.288 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.576 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/119/2020/एफ0सी0/1553 दिनांक 13.10.2020 की शर्त सं0–3(ख) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में कुलसारी–नैल–ढालू मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.288 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम नैणी, रा0उ0नि0 क्षेत्र कुलसारी, तहसील थराली की ख0खा0सं0–11 के खसरा सं0–43 रकबा 2.076 है0, खसरा सं0–53 रकबा 2.109 है0, खसरा सं0–60 रकबा 0.233 है0, खसरा सं0–277म0 0.158 है0 अर्थात कुल 4.576 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 7815/छब्बीस–37 (2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 27 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरिस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली।

यथा

AB(N) Amin / फा0 5/8/21

जिलाधिकारी,
चमोली।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

Attachment 2.37

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :जनपद चमोली में कुलसारी-- नेल --ढालू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.246 हे0 सिविल, 0.042 हे0 वन पंचायत, कुल 2.288 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

खण्डीय अभियन्ता | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, (चमोली)

प्रतिहस्ताक्षरित (हस्तलिखित)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर जहां–जहां संभव हों वहां स्ट्रिप प्लान्टेसन स्वयं के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

कोटा स्थिति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
Ph. No :- 01363-271224
e_mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in

संलग्न - ③

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
थराली (चमोली)

Scanned with OKEN Scanner